रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –24 ● कानपुर 16 से 31 दिसम्बर 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

एकमात्र अशासकीय मान्यता प्राप्त निकाय

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी तथा इसका निगमन 24 अप्रैल, 1975 को हुआ था निगमन के तत्काल बाद देश में आपात काल की घोषणा हो गयी जिसके कारण तमाम अव्यवस्थायें उत्पन्न हो गयी गैर सरकारी संस्थाओं का चलना मुश्किल हो गया बोर्ड ने उस स्थिति में भी संयम रखते हुए अपने उद्देशों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम बनाये व संचालित भी किये, शासकीय बाधाओं की परवाह किये बिना बोर्ड ने अपना कार्य निरन्तर जारी रखा तथा वैधानिक व व्यवहारिक जानकारियां भी प्राप्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जिसके कारण बोर्ड उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता गया, देश में आपात काल समाप्त हुआ नई सरकार सत्तासीन हुई, व्यवस्थाओं में व्यापक स्तर पर परिवर्तन आये, आपातकाल के समय हुये उत्पीड़नों की जांच के लिए कमीशनों की स्थापना हुई, परिणामोस्वरुप जांचों का सिलसिला प्रारम्भ होगया, इस अवधि में बोर्ड ने अपने द्वारा किये गये कार्यों की भी समीक्षा की, परीक्षा केन्द्रों के साथ घटित घटनाओं का अनुशीलन किया, शासकीय जोर–जबरदस्ती पर भी विचार किया गया। अन्ततः निष्कर्ष यह निकला कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने अपने नाम व मोनोग्राम को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार से पंजीकृत कराने का निश्चय किया जिससे बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को एकाधिकार प्राप्त हो और सरकारी निकायों तथा विभागों को अनावश्यक आपत्ति करने का अवसर न प्राप्त हो।

यहीं से बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के अस्तित्व का प्रबल आधार बना, बोर्ड लगातार अपनी गति से बढ़ रहा था तभी वर्ष 1982 में निजी मेडिकल कालेजों के प्रान्तीयकरण का सिलसिला प्रारम्भ हुआ एक बार फिर अस्तित्व की लड़ाई सामने आयी और यह सिलसिला लगातार लगभग दो वर्षों तक चलने के बाद 6 जून, 1984 में जो परिणाम निकला उसमें बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को विधि सम्मत संस्था घोषित किया गया।

यहां हम कह सकते हैं कि 80 से 90 के दशक में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का न तो कोई विकास हुआ था और न ही विस्तार हो पाया था ऐसे समय में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने विकास एवं विस्तार को प्रमुखता देते हुये में प्रदेश में लगभग 61 सम्बद्ध संस्थानों के समूह के साथ–साथ प्रदेश के बाहर भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास, विस्तार एवं मानव कल्याण को दृष्टिगत रखते हुये अपनी गति –िवधियों में अमूल–चूल परिवर्तन किया एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अन्य प्रदेशों में भी स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, बोर्ड को यह कतई स्वीकार नहीं था कि यह ही पूरे देश में अपना वर्चस्व स्थापित करे, अतः बोर्ड की प्रथम प्राथमिकता थी कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में जहां–जहां बोर्ड द्वारा सम्बद्ध कालेज थे उन राज्यों में स्वतंत्र रुप से बोर्ड/काउन्सिल स्थापित कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया जिस राज्य में शीर्ष संस्थायें स्थापित हो रही थीं उन राज्यों में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा सम्बद्ध संस्थाओं को उस राज्य की शीर्ष संस्था को सौंप दिया गया।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं जम्मू कश्मीर आदि में संचालित सम्बद्ध संस्थाओं को उन राज्यों की शीर्ष संस्थाओं को सौंप दिया गया, अभी सब कुछ ठीक –ठाक चल रहा था नव स्थापित शीर्ष संस्थाओं ने मान्यता का अलाप शुरू कर दिया इस काम में पूर्व स्थापित शीर्ष संस्थाओं ने भी बढ़–चढ़ कर भाग लिया, परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा कमेटियां बनायी जाने लगी कमेटियों की रिपोर्ट आने लगी, रिर्पोटो की मनमानी व्याख्या भी होने लगी, अब क्या था ! न्यायालय की चौखट तक इन मनमानी व्याख्याओं को पहुँचाया गया और शुरू हुआ मुकदमें बाजी का दौर।

विधिवत संचालित हो रहे कार्य में बाधायें आरम्भ हो गयीं बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 तो विधि सम्मत ढंग से पहले ही स्थापित हो चुका था इसलिए इसको कोई परेशानी नहीं हुई, परन्तु पूरे देश में हलचल पैदा हो गयी, यह सिलसिला लगातार जारी रहा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के आदेशों का लाभ उठाते हुए कुछ वर्षों तक तो कार्य किसी तरह चलता रहा एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजीवनी की शकल में 18 नवम्बर, 1998 को आदेश जारी किया, अब क्या था यह सिलसिला भी मात्र 5 साल तक ही चल सका, इस आदेश के अनुपालन में जो आदेश जारी हुआ उससे भूचाल सा आ गया, अभी अनुपालन तो गर्भ में ही था कि अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0 वर्मा मुख्य सचिव, उ0प्र0 व अन्य अस्तित्व में आ गया, इस वाद में 28 जनवरी, 2004 को पारित आदेश के निर्देशानुसार सभी प्रमाणपत्र प्रदाता संस्थाओं को शासन में तथा सभी चिकित्सकों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन कराना था।

इस आदेश के अनुपालन करने हेतु बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने एक याचिका माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 15 मार्च, 2004 को निर्णय दिया कि याची सरकार को अपना प्रतिवेदन 10 दिन में दे तथा सरकार को यह निर्देश दिया कि याची के प्रतिवेदन पर विचार कर दिनांक 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व आदेश जारी करे।

इस आदेश के अनुपालन में बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 20 मार्च, 2004 को सरकार को प्रस्तुत कर दिया ,जिसका विभिन्न स्तरों पर परीक्षण कर सरकार द्वारा 26 अप्रैल, 2010 को निरस्त कर निस्तारित कर दिया गया, बोर्ड ने दिनांक 26 मई, 2010 को पुनर्विचार हेतु पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुपालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,खण्डपीठ लखनऊ में एक याचिका योजित की जिसमें 18 मई, 2011 को राज्य सरकार को दो हफ्ते में लाम्बित प्रतिवेदन को निस्तारण करने हेतु निर्देश जारी किये।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इस आदेश के अनुपालनार्थ दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को एक प्रतिवेदन प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को प्रस्तुत किया, जिसके अनुपालन में शासन ने 4 जनवरी, 2012 को बोर्ड टऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को शासनादेश जारी किया, इस शासनादेश के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा क्रमशः 2 सितम्बर, 2013 एवं 14–3–2016 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/अपर निदेशकों को शासन द्वारा जारी आदेश के परिचालन हेतु निर्देश जारी किये।

बोर्ड की व्यवस्था उच्च शिक्षा के मापदण्डो के अनुरुप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन प्रबन्ध समिति, शिक्षा समिति, परीक्षा समिति एवं पंजीयन समीति में निहित है जिसमें चिकित्सा की विभिन्न विधाओं के योग्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ–साथ तकनीकि के उच्चतर योग्यता वाले वैज्ञानिक भी सम्मिलित हैं। बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 प्राप्त आदेशों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरुप जन सेवा /मानव सेवा एवं राष्ट्र हित में संलग्न है तथा सरकार द्वारा सुझाये गये कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का ही समुचित ढंग से संचालन कर रहा है, बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण छात्रों एवं चिकित्सकों के संरक्षण हेतु व्यापक स्तर पर प्रबन्ध भी कर रहा है जिससे बोर्ड द्वारा अर्हता धारी छात्रों एवं चिकित्सकों को अपने चिकित्सा कार्य में किसी प्रकार कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इस हेतु प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक से लेकर मण्डलों के अपर निदेशको एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों तक निरन्तर सम्पर्क जारी है।

✔ प्रदेश मे बोर्ड ही एकमात्र अधिकार सम्पन्न संस्था
✔ बोर्ड ने सदैव देशहित व मानव हित को दी प्राथमिकता
✔ आपातकाल में भी निडरता से जारी रखा काम
✔ प्रदेश में सबसे पुरानी विधि सम्मत ढंग से स्थापित संस्था
✔ राज्य के विधि एवं स्वास्थ्य विभाग की सहमति

डा0 आमिर बिन साबिर शिक्षा समिति व डा0 राजेन्द्र प्रसाद पंजीयन समिति में मनोनीत

बोर्ड आर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 र प्रदेश के शिक्षा समिति में रिक्त पद पर डा0 आमिर बिन साबिर बी0एच0एम0एस0 व एम0डी0ई0 एच0 को तथा पंजीयन समिति में डा0 राजेन्द्र प्रसाद बी0 ए0, बी0 एम0 एस0 को मनोनीत किया गया है। यह निश्चय बोर्ड की प्रबन्ध समिति की विशेष बैठक में किया गया।

डा0 आमिर बिन साबिर तथा डा0 राजेन्द्र प्रसाद के मनोनयन से इन्सटीटयूट के संचालको ने हर्ष व्यक्त किया तथा उम्मीद की कि इन लोगों के मनोनयन से नई ऊर्जा प्राप्त होगी, निश्चित रूप से डा0 आमिर बिन साबिर तथा डा0 राजेन्द्र प्रसाद के अनुभव से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को लाभ मिलेगा।

अनैतिकता से बचें

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की स्थायी समिति ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित लगभग एक दर्जन चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने हेतु जो संस्तुतियां सरकार को प्रस्तुत कीं उसके अनुसार गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को पूर्ण कालिक बैचलर और मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने तथा डाक्टर शब्द के प्रयोग के औचित्य पर व्यवस्था दी है, इस संस्तुति को सरकार ने अक्षरशः स्वीकार करते हुए अपने आदेश में डिपलोमा शब्द के प्रयोग पर भी रोक लगाई है, सरकार ने राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिये हैं कि उनके राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जो भी संस्थान संचालित हो रहे हों उन पर कड़ी निगाह रखी जाये तथा सरकार के इस आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाये।

यद्यपि सरकार ने किसी भी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति को संचालित होते रहने अथवा पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी भी प्रकार के अवरोध हेतु कोई भी निर्देश राज्य सरकारों को नहीं दिये हैं, यह बात जानने योग्य है कि चिकित्सा का क्षेत्र राज्यों के अधीन है और राज्यों को ही इसको संचालित करने के लिए दिशा निर्देश तय करने होते हैं जबकि मापदण्ड केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, इसी व्यवस्था के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं, केन्द्र सरकार ने इस आदेश को पूर्ण करने के लिए विभिन्न अवसरों पर सम्बन्धित संगठनों एवं संस्थानों का आवाहन किया। इसी की पूर्ति हेतु गत वर्ष 28 फरवरी, 2017 को केन्द्र सरकार ने एक नोटिस जारी कर सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव मांगे, इसमें भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रमुखता दी गयी है, लोगों ने बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्रेषित भी किये उनमें से अधिकाश प्रस्ताव प्रथम दृष्टि में ही अस्वीकार कर दिये गये तथा सम्बन्धित पक्षकारों को निर्देशित किया गया कि वह पुनः निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित करें।

प्रस्ताव प्रेषित करने का सिलसिला 31 दिसम्बर, 2017 तक चला, इसके तत्काल बाद 9 जनवरी, 2018 को अन्तर विभागीय समिति की बैठक आहूत कर प्रस्तुतीकरण हेतु सम्बन्धित पक्षकारों को आमंत्रित किया गया परन्तु इनमें से कुछ ही लोगों को प्रस्तुतीकरण का अवसर दिया गया, जिनको अवसर दिया गया उन्होंने जो कुछ भी प्रस्तुत किया उसका निष्कर्ष यह निकला कि उन्हें पुनः नोटिस के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, संशोधित प्रस्ताव का परीक्षण कर 19 मार्च, 2018 को जो कार्यवाही जारी की गयी उसके अनुसार वह सब कुछ चिन्हित किया गया जिसे भारत सरकार ने करने के लिए निषेध किया है अर्थात बैचलर डिग्री जिसको किसी ने प्रमाण पत्र कहा किसी ने डिग्री कहा, कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा इस पर घोर आपत्ति की गयी सदस्यों ने हास्यस्पद अंदाज में खिल्ली भी उड़ाई, इस प्रस्तुति में अधिकाधिक लोग अपने आप को वैज्ञानिक प्रस्तुत कर रहे थे जबकि वह यह भूल गये थे कि जहाँ पर वह उपस्थित हैं वहाँ वैज्ञानिकों की एक बड़ी फौज है।

लोग मान्यता की मांग कर रहे हैं मान्यता की मूलभूत बातों को जानते ही नहीं हैं, ऐसा समझते हैं कि भीड़ लगाने से मान्यता मिल जायेगी ! जबकि मान्यता के लिए कुछ आवश्यक मापदण्ड होते हैं जिसके अधीन काम हो, और जो काम किया जाये वह भी मानकयुक्त हो, सरकार द्वारा दिये गये आदेशों एवं दिशानिर्देशों का पालन भी हो, देश में प्रचलित कानून एवं विधानों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जायें निरीक्षण एवं परीक्षण में उठाये गये बिन्दुओं का समाधान समुचित ढंग से किया जाये, इन सब की पूर्ति के बाद ही निष्कर्ष की अपेक्षा की जा सकती है, केवल भीड़ लगाकर या शोर मचाकर मान्यता कदापि नहीं प्राप्त की जा सकती है।

लोगों की आदत अनैतिक कार्य करने की पड़ चुकी है जिसके कारण ही लोग बार-बार सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दु पर प्रस्ताव मांगने के बाद भी मनमाने ढंग से या अपने हित के अनुसार प्रस्ताव बनाकर सरकारों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं परिणाम स्वरूप मान्यता का प्रकरण निरन्तर लम्बा होता जा रहा है, सरकार के समक्ष निराधार, भ्रामक एवं असत्य सूचनायें प्रस्तुत की जा रही हैं जिसके कारण निरन्तर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और तो और लोग न्यायालय के समक्ष भी इसी तरह के तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे अच्छी खासी बनी हुई साख खराब हो रही है जबकि भारत सरकार ने निरन्तर यह कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास पर रोक का उसका कोई विचार नहीं है, जो समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं वह सब अनैतिक कार्य करने से ही हो रही हैं लोगों को चाहिये कि अनैतिक कार्य छोड़कर अब केवल नीतिगत एवं सैद्धान्तिक रूप से कार्य करें।

हर कोई परेशान सा क्यूँ है

आज से बहुत वर्षों पहले प्रख्यात फिल्मकार मुज़फ्फर अली ने गन्ना किसानों की समस्या पर रुपहले पर्दे पर फिल्माते हुये व्यवस्था पर करारी चोट की थी उसी कृति का यह मुखड़ा कि "इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यूँ है" इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर वर्तमान में पूर्णतयः चरितार्थ हो रही है। आँखों में चुभन सीने में जलन लिये हुये हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ किसी न किसी स्वयं की बनाई हुयी परेशानी से परेशान है। फिल्म गमन और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में थोड़ी समानता है। वहाँ गन्ना किसानों की दुर्दशा पर सरकारी व्यवस्था का चित्रण यहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी सरकारी व्यवस्था से दुर्दशा को प्राप्त होकर पुर्नस्थापना की स्थिति में पहुँची है, वह भी एक राष्ट्रीय समस्या थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी राष्ट्रीय समस्या है वहाँ अगर किसानों के शोषण की कथा थी तो यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथों के सरकारी शोषण की पटकथा लिखी जा रही है वहाँ उत्तर प्रदेश का जिला लखीमपुर था यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ज़िला कानपुर है, सही मायने में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ह्रदय स्थाली, कर्मस्थली, संघर्ष स्थली आज भी कानपुर है, कानपुर ने ही इलेक्ट्रो होम्योपैथों को सम्मान दिलाया है जो जीवन पर्यन्त कर्म करते हुये संघर्ष की गाथा लिख गये, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में परेशानी 27 मार्च, 1953 से शुरु हुई जब एक अर्द्ध शासकीय पत्र ने इलेक्ट्रो होम्योपैथों को पहला सरकारी शुभकामना सन्देश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया, तब भी कुछ लोगों को परेशानी हुयी थी पर संख्या कम थी इसलिये परेशानी छोटी थी, समय बीतता गया सन् 1998 इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये एतिहासिक वर्ष बनते हुये वह महत्वपूर्ण निर्णय ला दिया जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए मील का पत्थर सबित हो रहा है।

परेशानी बढ़ी लोग बढ़ गये इसलिये परेशानों की संख्या भी बढ़ गयी लोग यहाँ तक परेशान हो गये कि पूरा देश कहीं इस आदेश का लाभ न उठा ले यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी।

25 नवम्बर, 2003 परेशानी ही परेशानी भारत सरकार स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का वह आदेश जो गलत व्याख्या के कारण सारे भारत में परेशानी का कारण बना, लोग तब भी परेशान हुये तब इन्हीं परेशानों ने परेशान होकर कहा ऐसा न किया गया होता तो! ऐसा न होता!! समाचार पत्र परेशान, सरकारी व्यवस्था परेशान, इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं के संचालक परेशान, चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सक परेशान, दवा निर्माता परेशान, पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाले परेशान प्रारम्भ से अन्त तक अगर हम नज़र डालें तो लगता है कि सारे जमाने के परेशान इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ही समाहित हैं।

उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा सचिव भी परेशान हुये और इसी परेशानी में 1-6-2004 को इलेक्ट्रो होम्योपैथों व इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थाओं को परेशान करने वाला परेशान सा शासनादेश करके सबको परेशान कर दिया। 2004 से 2010 तक का समय परेशानी का रहा लोग इस परेशानी की जड़े खोजते रहे एक दूसरे पर परेशानी पैदा करने का दोष मढ़ते रहे, दोष मढ़ने वाले भी परेशान हर शख्स इस परेशानी को दूर करने में परेशान था, परेशानी हैरानी में बदल गयी जब 5-5-2010 को सारे भारत को हैरान कर देने वाला एक आदेश आया।

जब लोगों ने एक दूसरे को इस आदेश के बारे में बताया तो लोग परेशान हो गये, कुछ इसकी सत्यता जानने को परेशान कुछ इसलिये परेशान कि यह आदेश कैसे हो गया ?कुछ इसलिये परेशान कि इस आदेश का कहीं सब लोग लाभ न उठा लें, कुछ इसमें परेशान !

कुछ उसमें परेशान !!

शेष अंतिम पेज पर

विश्व एड्स दिवस पर जागरुकता शिविर

(हमारे गोरखपुर संवाददाता से)

1988 के बाद से 1 दिसम्बर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस के रुप में सम्पूर्ण विश्व में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भ्ण्प्टए संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरुकता बढ़ाना और इस बीमारी से जिनकी मृत्यु हो गयी है उनका शोक मनाना है, सरकार, स्वास्थ्य अधिकारी, गैर सरकारी संगठन एवं पूरे विश्व में लोग प्रायः एड्स की रोक थाम और नियंत्रण पर शिक्षा के साथ इस दिन का निरीक्षण करते हैं।

बात यदि जागरुकता की की जाय तो लोग जागरुक तो हुये है इसलिये आज इसके प्रति काउंसिलिंग कराने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी है परन्तु यह संख्या शहरी क्षेत्र के मध्यम व उच्च आय वर्ग के लोगों तक ही सीमित है, निम्न आय वर्ग के लोगों में अभी भी जानकारी का अभाव है इसलिये इस आय वर्ग में भ्ण्प्टए संक्रमण लोगों की संख्या अधिक है जबकि बहुत सी संस्थायें निम्न आय वर्ग के लोगों में इस बात के प्रति जागरुकता अभियान चला रही हैं, लोग कारण जानने के बाद भी सावधानियां नहीं बरतते जिन कारणों से एड्स होता है उससे बचने के बजाय उसे अनदेखा कर देते हैं, इसमें अधिकांश लोग असुरक्षित यौन सम्बन्ध और संक्रमित रक्त के कारण एड्स की चपेट में आ जाते हैं।

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जनपद महाराजगंज, गोरखपुर एवं इससे सटे हुये क्षेत्र नौतनवा में धनपत लाल मेमोरियल मेडिकल स्टडी सेन्टर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ओर से लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से अनेक जागरुकता शिविर डा0 प्रिंस श्रीवास्तव की देख रेख में लगाये गये इसके अन्तर्गत जिले में लगभग 17 स्थानों पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा एड्स जागरुकता कैम्प लगा कर लोगों को जागरुक किया गया, कैम्पों को सफल बनाने एवं योगदान देने हेतु बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रवक्ता डा0 प्रिंस श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों को बीमारी फैलाने वाले कारणों से बचना चाहिये, देश में भ्ण्प्टए के साथ जीने वालों की संख्या लगभग चार करोड़ है अन्त में उन्होंने आभार व्यक्त करते हुये कहा कि भविष्य में भी जनहित के कार्यों में आप सभी लोगों का ऐसे ही सहयोग प्राप्त होता रहेगा ऐसी आपसे अपेक्षा है।

कल—आज और कल की तस्वीर

25 नवम्बर, 2003 से 5 मई, 20010 तक का कालखण्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहते हैं कि इतिहास अपने अन्दर सारे दृश्य समाहित किये रहता है और यही इतिहास भविष्य का मार्ग दर्शक होता है, इसी इतिहास से समाज प्रेरणा लेता है व गौरवान्वित होता है पर यदि यही इतिहास शर्मशार होता है तो उससे जुड़े व्यक्ति निन्दित होते हैं, कारण इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता है किसी कवि की यह युक्ति यहाँ सार्थक व प्रासंगिक है :—

"अंधियारे के काले पृष्ठों को नही माफ करता इतिहास,
अंधकार की सीमा पर ही स्वागत पाता है प्रकाश।"

यहाँ पर यह सन्दर्भ इसलिये आवश्यक है क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से जुड़े हर व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात थी जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को लगभग छः साल का आज्ञातवास काटना पड़ा — अर्थात उपस्थित होते हुये भी हम सबने व्यथित व छिपी हुयी जिन्दगी जी व सामान्यजन के बीच हास्य, निन्दा व उपेक्षा का पात्र बनते हुये समाज की मुख्य धारा से काट दिये गये थे, यह विषय न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि यह चिंतन का विषय भी है, 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार के स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से निर्गत आदेश का अलग—अलग वर्ग के लोगों द्वारा अपने—अपने ढंग से व्याख्या करना व अपनी टिप्पणी करना फलस्वरुप उससे जो स्थिति निर्मित हुयी उसका भोग सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथियों ने किया उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े लोग भी कम दोषी नहीं हैं उन्होंने भी विवेक का प्रयोग नहीं किया व वह भी सबके साथ उसी गलत व्याख्या का साथ देते हुए अतर्क संगत तर्क देने लगे व अपने पैरों में स्वयं काँटा चुभो लिया व दर्द सहने को तैयार हो गये।

देश व प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों ने भी इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व 25 नवम्बर, 2003 के आदेश को मिर्च मसाला लगाकर जनता के बीच ऐसे परोसा गया कि लोगों ने चटकारा लेकर स्वीकारने में कतई संकोच नहीं किया, कहते हैं कि समाचार पत्र समाज का दर्पण होता है और यह समाज को प्रभावित भी करता है, हुआ भी यही, इन्हीं समाचारों से प्रभावित होकर शासन—सत्ता से जुड़े व्यक्ति भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति जो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे उत्साहित हो गये और उन्होंने 25—11—2003 को अपराजेय अस्त्र मानते हुये 1 जून, 2004 को शासनादेश तक कर डाला।

शासनादेश भी कितना कठिन इसमें उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पठन—पाठन व चिकित्सा पर दण्डनीय प्रतिबन्ध लगा डाला, यह बात समझ से परे थी, फिर भी हमने स्वीकारा क्योंकि गलत व्याख्या होने के कारण शासन व चिकित्सा पर प्रतिबन्ध जैसे शब्द लिखना शासन के लिये कोई नयी बात नहीं थी।

पर इस बार जो एक नया शब्द पठन इस शासनादेश में समाहित किया गया था वह अन्दर तक झकझोरने वाला था कारण मानकों के अभाव में व गुणवत्ता की कसौटी पर विकास के आधार पर तो आप किसी पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं पर किसी ऐसे साहित्य को जो कि लगभग एक सैकड़ा साल से अधिक पूरे विश्व में पढ़ा जा रहा हो, जिसके बारे में देश के न्यायलयों व सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिकों की समिति ने स्वीकारा हो उस साहित्य के बारे में इस तरह का व्यवहार कतई उचित नहीं था, यह न केवल पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने वाली जैसी बात थी वरन यह मानवाधिकार का खुला उल्लघंन भी था।

समय गतिमान है अतः बीतता गया व इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ध्वजवाहकों ने लड़ाई नहीं छोड़ी वह अपने—अपने स्तर से शासन, प्रशासन व नयायलयों के समक्ष अपनी बात रखते रहे। अन्त में वही हुआ जो वास्तव में बहुत पहले हो जाना चाहिये 5 मई, 2010 को भारत सरकार स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 नवम्बर, 2003 को जारी आदेश को स्पष्ट करते हुये कहा कि 25 नवम्बर, 2003 के आदेश में भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा चिकित्सा व अनुसंधान के लिए कोई प्रतिबन्ध का प्रस्ताव नहीं रखती है।

इस आदेश से यह तो स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में किये जाने वाला हर कार्य जो गलत व्याख्या के कारण ठप्प सा हो गया था वह अब पुनः तेज गति के साथ संचालन की स्थित में आ गया, पर उत्तर प्रदेश की स्थित सर्वथा भिन्न है, इस प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा व चिकित्सा के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कुछ अलग तरह की व्यवस्था की है, जिसके अनुसार चिकित्सा शिक्षा देने वाले निकाय का पंजीकरण प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के यहां व चिकित्सक का पंजीकरण जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां होना चाहिए।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोशियशन आफ इण्डिया ने इस दिशा में पहल कर आगे बढ़ते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुये प्रयास किया कि वर्तमान व्यवस्था का पालन करते हुये आवशयक प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने पाये। 11—10—2010 को इस दिशा में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसियेशन ऑफ इण्डिया की लाम्बित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ का निर्णय मील का पत्थर साबित हुआ, निश्चित तौर पर इस आदेश ने प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों के मध्य नये प्राण फूकनें का कार्य किया है और इसी आदेश ने ही प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भविष्य की दिशा तय कर दी परन्तु आज स्थिति यह है कि चिकित्सकों व संस्था संचालकों के मध्य भ्रम की सी स्थिति है या भ्रम जैसी स्थिति बनाई जा रही है, सम्पूर्ण संस्था संचालक सिर्फ इस बात को लेकर आज परेशान हैं कि ऐनकेन प्रकारेण उन्हें शिक्षा प्रदान करने का व विद्यालय संचालित करने का अवसर प्राप्त हो जाये वह किसी भी प्रकार से धनोपार्जन करने लगें।

हम इसके कदापि विरोधी नहीं हैं, विरोध है तो सिर्फ इस केन्द्रित सोच का, कि हममें से हर एक को यह प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पूर्णता प्रदान करवाने हेतु चिकित्सकों को दिशा निर्देश जारी करें ताकि उनका पालन करते हुये हम सकारात्मक सोच के साथ आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

वास्तव में यही हमारी सोच होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीयन हेतु 2015 में जारी शासनादेश तथा भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 28 फरवरी, 2017 को जारी नोटिस के द्वारा वांछित सूचनाओं, अभिलेखों एवं साक्ष्यों के साथ इस प्रकार उपलब्ध करायें कि सरकार आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों एवं साक्ष्यों से पूर्णरुपेण संतुष्ट होकर आप द्वारा अपेक्षित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विस्तार व विकास हेतु प्रतीक्षित जिज्ञासायें पूर्ण हो जायें।

शुभ कामनायें

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों, छात्रों, पाठकों एवं शुभ चिन्तकों नव वर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनायें।

आशा है कि आगामी नव वर्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये मंगलमय एवं नया प्रकाश पुंज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये प्रजव्लित होगा।

सम्पदक

आवशयक सूचना

पाठकों व छात्रों के अनुरोध पर गज़ट के प्रकाशन मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा संचालित क्रमशः **F.M.E.H.** की सेमेस्टर तथा **A.C.E.H.** की परीक्षा जो आगामी 26 दिसम्बर, 2018 से प्रस्तावित हैं का परीक्षा कार्यक्रम पुनः प्रकाशित किया जाय।

अतः परीक्षा कार्यक्रम पाठकों व छात्रों के अनुरोध पर नीचे दिया गया है।

सम्पदक

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION DECEMBER 2018

Name of the course	26th December, 2018 Wednesday	27th December, 2018 Thursday	28th December, 2018 Friday	29th December, 2018 Saturday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy &Philosophy	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	M.Jurisprudence & Toxicology	Dietetics	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	Materia Medica	Practice of Medicine	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	Pharmacy- Philosophy & Materia Medica	Pathology-Hygiene and M.Jurisprudence	Midwifery Gynics, Opthalmology & Practice of Med.

Timing → 9:00 A.M. to 12:00 A.M.

Ateeq Ahmad
Examination Incharge

बोर्ड की शिक्षा समिति के सदस्य

डा0 नबील अहमद इमर्जिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 की शिक्षा समिति के सदस्य एवं आई0 एफ0 टी0 एम0 युनिवर्सिटी मुरादाबाद के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष डा0 नबील अहमद को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्री–हॉर्टी सिस्टम प्रणाली पर आयोजित तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नैनोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर करेंट चैलेन्जेस एण्ड पोटेन्शियल एप्लीकेशन्स पर व्याख्यान दिया जिसके लिये उन्हें एमर्जिन्ग यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

चेयरमैन डा0 इदरीसी सहित बोर्ड के सदस्यों ने दी बधाई

यह कार्यक्रम छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में डाक्टर्स कृषि एवं बागवानी विकास संस्था द्वारा आयोजित किया गया था, इसमें अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किये।

- ✓ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास की वास्तविक तसवीर दिख रही है
- ✓ डा0 नबील अहमद एवं इनकी टीम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आवश्यकता पड़ने पर अपना योगदान देगी
- ✓ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित होने में सफलता मिलेगी

इस कार्यक्रम के आयोजन में नेशनल सेन्टर ऑफ ऑर्गेनिक फारमिंग–गाजियाबाद, डायरेक्ट्रेट रिसर्च (आईसी एआर), सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ सब ट्रौपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, एवं डिपार्टमेन्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एण्ड फूड प्रोसेसिंग उ0प्र0 सरकार (सीएसआईआर) सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एण्ड ऐरोमेटिक प्लान्टस (सीमैप), लखनऊ, डिपार्टमेन्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर उ0प्र0 सरकार, इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर लखनऊ का योगदान रहा।

डिपार्टमेन्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एण्ड फूड प्रोसेसिंग उ0प्र0 सरकार, लखनऊ के निदेशक डा0 रघुवेन्द्र प्रताप सिंह ने डा0 नबील अहमद को एमर्जिन्ग यंग साइंटिस्ट अवार्ड देने के साथ ही प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेन्ट करके सम्मानित किया।

डा0 रघुवेन्द्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में डा0 नबील अहमद द्वारा बताई गयी तकनीकी से निसन्देह कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में आशचर्यचकित क्रान्तिकारी परिवर्तन एवं उपलब्धि प्राप्त होगी यह इनका राष्ट्र हित में बड़ा योगदान है।

इस सम्मान के लिए बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश परिवार गौरवान्ति है तथा डा0 नबील अहमद के उज्जवल भविष्य की कामना करता है।

हर कोई ..... पेज 2 से आगे

परेशानों को परेशानी परेशान करती रही समय का चक्र चलता रहा उत्तर प्रदेश फिर भी इस परेशानी दूर नहीं हो पाया।

पता नहीं परेशान प्रभु को क्या सूझी कि उसने सारे उत्तर प्रदेश वालों को परेशान करने के लिये 11–10–2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ से एक आदेश निर्गत हो गया, इस आदेश को जिसने भी सुना वह भी परेशान हो गया, इनके साथ ऐसा क्यों हो गया इसलिये परेशान, यह आदेश किस तरह हुआ यह जानने के लिये परेशान, यह आदेश किस पर लागू होगा इसलिये परेशान, जो समतावादी थे वे इसलिये परेशान कि किसी प्रकार सबका भला हो जाय। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिये कुछ लोग परेशान कुछ इसलिये परेशान कि अब तो विद्यालय चलाने का अवसर मिल जायेगा, कुछ इसलिये परेशान कि अब मुख्य चिकित्साधिकारी परेशान नहीं करेगा, सरकार इसलिये परेशान कि ऐसी क्या व्यवस्था दी जाये कि इन परेशानों की परेशानी एक झटके में दूर हो जाये।

कहने का तात्पर्य यह है कि हम जहाँ तक नज़र डालते हैं हमारी सोच जहाँ तक जाती है, हमारा चिन्तन जहाँ पर जाकर रुकता जाता है, हमारा अहम जहाँ पर टकराता है, जहाँ पर भी देखो वहीं परेशानी ही परेशानी नज़र आती है।

अस्तु यह बात कहने में तो कुछ बेढंगी व बेतुकी लगती है लेकिन सच तो यह है कि हमें बार–बार सोचने को मजबूर कर देता है कि इस "शहर का हर शख्स परेशान सा क्यूँ है"।

डा0 नबील अहमद को युवा वैज्ञानिक का एवार्ड देते हुये डिपार्टमेन्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एण्ड फूड प्रोसेसिंग उ0प्र0 सरकार लखनऊ के निदेशक डा0 रघुवेन्द्र प्रताप सिंह – छाया गज़ट